प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 01.08.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 01.08.2025 को निम्न अभियोगों मे सजा करायी गयी है।

1. थाना सिविल लाइन

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000-10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिविल लाइन, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 -10,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.02.2021 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी की नाबालिग पुत्री के चरित्र को लेकर भद्दी-भद्दी बाते करना व अपमानित कर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के संबंध में थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0-46/2021 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 मुलायम सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री तरुण कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्तों को आज दिनांक 01.08.2025 को अन्तर्गत धारा 306 भादवि में **मा0 न्याया0 एडीजे-4/ स्पे0 जज ई0सी0 एक्ट इटावा** द्वारा **10 – 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000-10,000/- रु0** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **विशाल पुत्र हुकुम सिंह निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
2. **मीरा देवी पत्नी हुकुम सिंह निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
3. **सपना पत्नी विशाल निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**
4. **करन सिंह उर्फ चींटी पुत्र बजरंगी निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।**